न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०...... 779/2024

(कंप्यूटर रजि०नं० 2885/2024)

सरकार बनाम अनुज चौधरी आदि

अंतर्गत धारा–103(1)सपठित धारा–3(5)बी०एन०एस०

एवं 27 आयुध अधि०

थाना–नन्दग्राम गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–612/2024

मैमोरेण्डम

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण अनुज चौधरी, ओमवीर, कुलदीप एवं राजा शर्मा जिला कारागार से उपस्थित आए।

अभियुक्तगण ओमवीर व अनुज चौधरी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क आरोप सृजित किये जाने के बिंदु पर सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अनुज चौधरी के विरूद्ध धारा–103(1)सपठित धारा–3(5)बी०एन०एस० एवं 27 आयुध अधि० तथा अभियुक्त ओमवीर के विरूद्ध धारा–103(1)सपठित धारा–3(5)बी०एन०एस० के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप तद्नुसार सृजित किया जाता है।

अभियुक्तगण राजा शर्मा एवं कुलदीप की ओर से आगामी तिथि को अपना अधिवक्ता नियुक्त करने का कथन किया गया। अतः पत्रावली वास्ते आरोप विरचन शेष अभियुक्तगण दिनांक 06–02–2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 27.01.2025

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2025.01.28 16:45:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court